5000Rs

6071 27/8/19

151, 155, 159

144, 145, 150

1- नाम लेखकारगण :- 1- श्री अमरनाथ सिंह

2- श्री शालिग्रामनाथ सिन्हा

दोनो के पिता का नाम श्री सुरेश प्रसाद सिंह ।

निवासी स्थान मुस्तफापुर, थाना एवं पत्रालय खगौल, जिला पटना । भारतीय नागरिक ।

29850

25501

29850

श्रीमती सुधा सिंह
श्री किशोर कुमार सिंह
उदयत नगर
जोधपुर

अमरनाथ सिंह
दि: 19-1-2000

(2)

5000Rs.

- 4 -

जमाबन्दी संख्या - 166/302 वर्ष 1997-98 ई०

एवं 301 वर्ष 1997-98 ई० ।

" चौहद्दी "

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सत्य नारायण सिंह ।	बीस फीट चौड़ा रास्ता जिसमें दस फीट चौड़ा बिक्रेता एवं दस फीट चौड़ा खरीदार अपने जमीन में छोड़े है । इस रास्ते का उपयोग दोनो पक्ष समान रूप से करेंगें । वादहु नीचू लेखकारीयण ।	पार्ट प्लौट आज खरीदार श्रीमती चिन्ता सिंह उर्फ अनिता सिंह ।	पार्ट प्लौट आज खरीदार श्रीमती लुमकुम सिंह ।

यह कि उपर्युक्त भूमि पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्दर है । जिसकी बिक्री हेतु लेखकारीयण

5000Rs.

- 3 -

ने लेखपथारिणी के पक्ष में पहेरी भूमि हदबन्दी

कार्यालय पटना के यहां दिनांक 27-08-99 ई० को

सूचना दाखिल किये है । जिसका क्रमांक सं०-607 1/99

है । जिसकी साठ दिनों की अवधि समाप्त हो

गई है ।

" संदर्भ "

हस्तिक यह है कि इस विक्रय पत्र के खाना संख्या-6 में वर्णित

सम्पत्ति लेखपथारिणी के माता श्रीमती राम रती देवी को वजरिये वसीका

वहीनामा द्वारा दिनांक 13-08-1957 ई० को नविसो लुरन देवी पति

स्व० श्री जैराम सिंह साकिन मुस्तफापुर, थाना दानापुर, जिला पटना से मिर

1000 Rs.

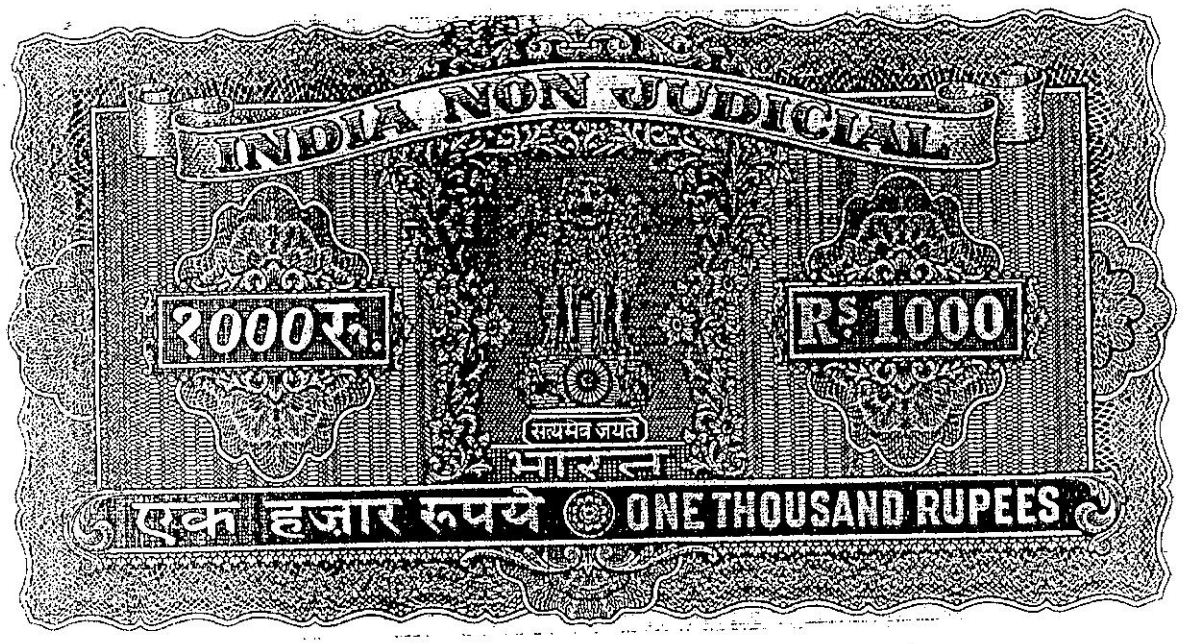

- 6 -

सहारी से स्पष्ट उल्लेखित किया है । जिसका हल्का नं0-1, जिल्द नं0-23, [illegible] नं0-149 से 145 तक, पत्रिका नं0-3916 वर्ष 1957 ई0 निबंधन कार्यालय [illegible] बाबा है । वो तारीख बटवारानामा के दिन से लेकर आज तक [illegible] माता लालिज दीक्षित मालिक मुस्तकिल चले आते थे लेकिन बाद में [illegible] कारणवश के माता दिनांक 19-09-1994 ई0 को अपने सभी पुत्रगण एवं पुत्रवधू के बीच सभी सम्पत्ति का यादास्त स्वरूप द्वारा बंटवारा कर दिया है । जिस बंटवारा में खाना खसरा-5 में वर्णित सम्पत्ति एवं और अन्य सम्पत्ति के साथ के उपकारीगण को खास दाज हिस्सा में प्राप्त हुआ है । वो तिथि बंटवारा के दिन से लेकर आज तक लेउपकारीगण खाना नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर स्वतंत्र रूप से तारिज दखिल मालिक

1000Rs.

- 7 -

...स्थित मौके पर है जो है । जो लेखपालरिपोर्ट का नाम अंकित कार्यालय के जमाबन्दी रजिस्टर संख्या- 166/302 166/301 पर दर्ज चला आया है । इस प्रकार लेखपालरिपोर्ट की खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति पर दखल कब्जा का प्रमाण पूर्ण रूप से है ।

लेखपालरिपोर्ट को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमन्द सम्पत्ति के लिये रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी लेखपालरिपोर्ट नहीं करते हैं तब तक रुपयों का कोई प्रबन्ध करना लेखपालरिपोर्ट के लिये ~~लिये~~ अति ही प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेखपालरिपोर्ट ने वादीअयत सम्पत्ति के मूल स्वामियों से हकदार हो दखलकार होकर हो रहकर अपने जीवन की

1000Rs.

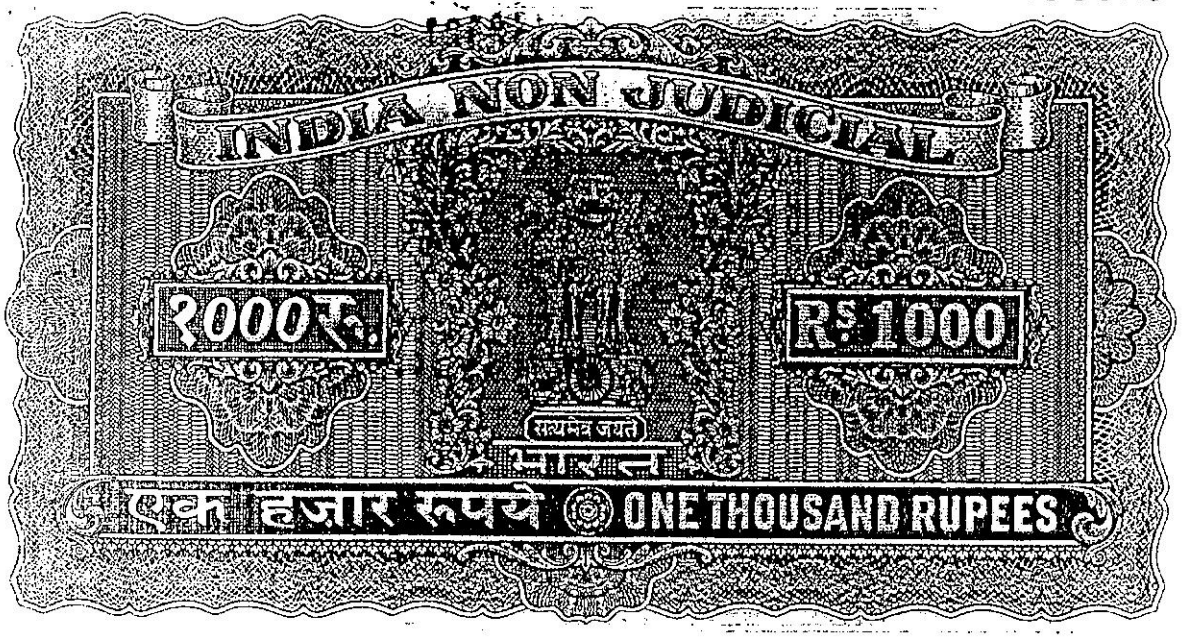

स्वस्थतावस्था में अपने कुछ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श करने के पश्चात बिना किसी बाहरी दबाव वो दराव वो धोखाधड़ी के अपने सुस्थित ज्ञानेन्द्रियों के साथ अपने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को मेसर्स कुमार, उचित मूल्य मो0 1,37,500/- (एक लाख सैतीस हजार पांच सौ रुपया) मात्र में लेखपाकारिणी अपने नं0-2 से बेचा वो बखुशी स्वीकार किया वो लेखय निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रुपयों को लेखयकारीगण ने खरीदार पक्ष से इस पंक्ति पर हस्ताक्षर करने के समय इस प्रकार से पाया कि - मो0 70,000/- (सत्तर हजार रुपया) मात्र बैंक ड्राफ्ट द्वारा वो मो0 67,500/- (सरसठ हजार पांच सौ रुपया) मात्र नगद कुल मो0 1,37,500/- (एक लाख सैतीस

1000Rs.

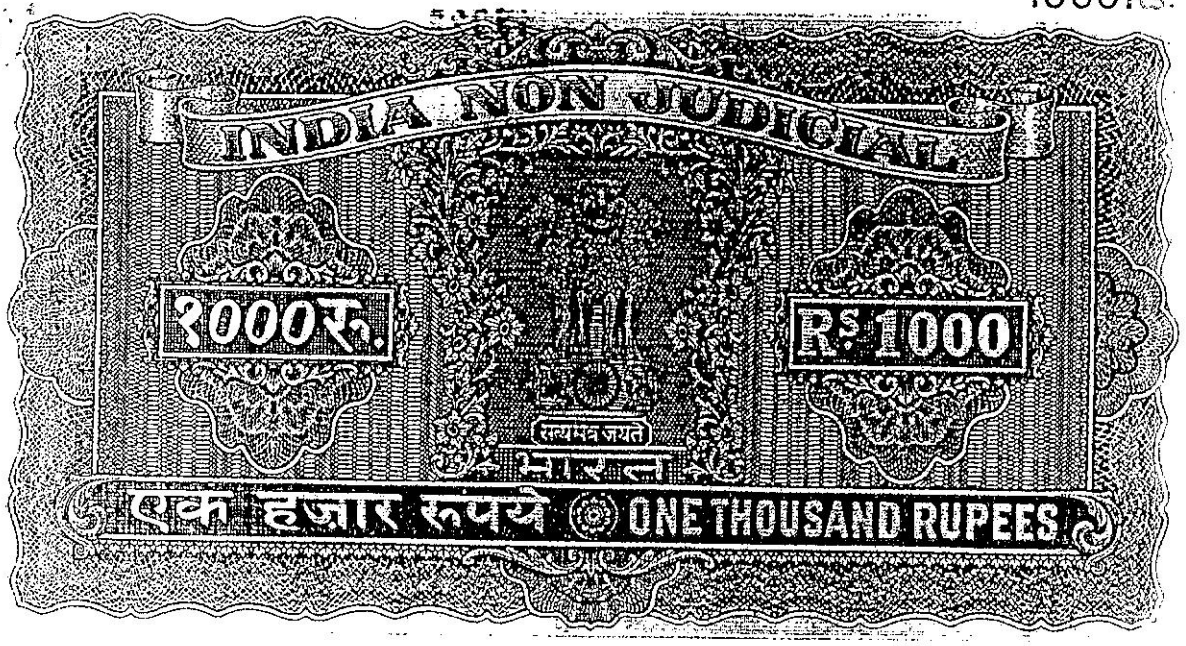

हजार रुपये की रुपयाई वसूल वो लेवा कर पा चुके हैं ।

आने नं0-5 के वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज उस लेखकारोगण या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त है । वे सब मूल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से भूल के मूल रूपयों के हदसे हस्तांतर होकर खरीदार पास या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ है । खरीदार आने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहीसपत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर आपदाद मजहर को जिन्हें चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो साथ अपनी इलाख लेखकारोगण के तहरीरता बिहार सरकार के जमींन्दारी विभाग में इस विक्रय पत्र के आधार पे नामांतरण करा लेवेंगे । उस वास्ते लेखकारोगण को किसी प्रकार

750Rs.

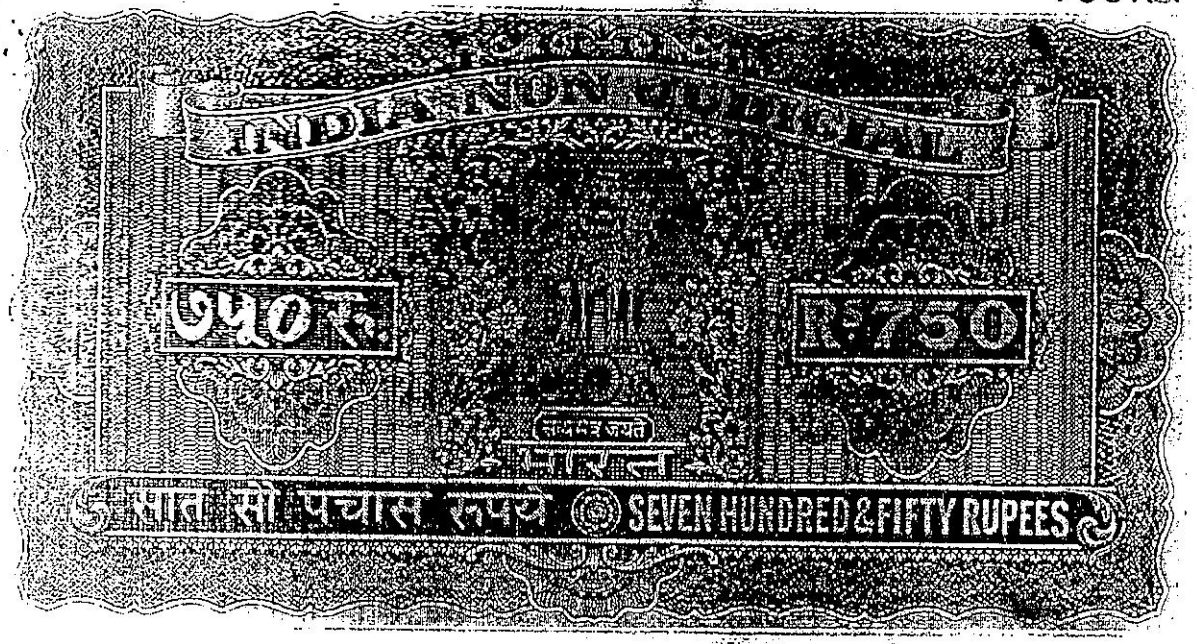

- 10 -

ना कोई उज्र वो सतराज न है न कभी होगा ।

लेखकारगण (क्रेतागण) ने लेखकारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि आने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो अन्य सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वो पाक साफ है । वो आज तक लेखकारगण ने आने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं मिलेंगे हैं ।

इस बारे यह वैधिका निर्विवाद विक्रय पत्र जानि लेखाना

100Rs.

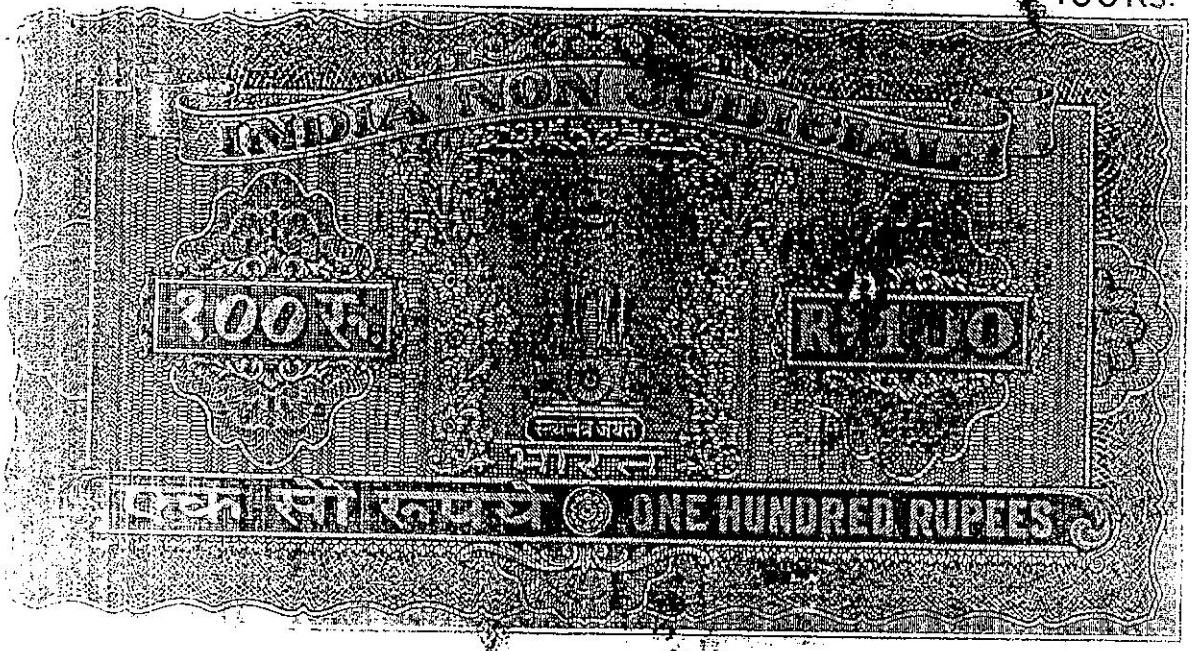

- 11 -

उपरोक्त लिखित दिया कि समय पर काम आवे तो प्रमाण रहे ।

समाप्त ।

साक्षीगण का हस्ताक्षर :-

1- X

2- X

लेखकारीगण का हस्ताक्षर :-

1- अमलनाथ सिंह
दि: 19-1-2000

2- शांति रंजन मिश्र
दि: 19-1-2000

लेखक :-
(Raj Kumar Gupta)
राज कुमार गुप्ता
सीविल कोर्ट, दानापुर,
(पटना) ।